नम्बर व
इहकाम जो
की तामील में

प्रकरण संख्या 36/2024
अनवान सुभाषचन्द्र बनाम भादरराम

प्रार्थी सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 1 एसएनजी खाता संख्या 32/29 ज.स. 2071–2074 प.न. 215/150 मु.न. 39 किला नं. 6 व 7 में प्रार्थी के किला नम्बर 15 में आवागमन हेतु 8.25 फीट चौड़ा व 185 फींट लम्बा रास्ता स्वीकृत करने निवेदन किया गया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 भादरराम ने जरिये अभिभाषक उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत शुद्वा रास्ते से नही जुड़ता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उप तहसीलदार ढाबा ने अपने पत्र क्रमांक 155 दिनांक 18.09.2024 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2024 के क्रम संख्या 5 में प्रार्थी ने आवेदित दस्तावेज मुताबिक मु.न. 39 के किला नम्बर 7,6 से होते हुए किला नम्बर 15 में जाना चाहता है। उप तहसीलदार ढाबा द्वारा अपनी रिपोर्ट में मु.न. 39 के किला नम्बर 2,9 से होते हुए किला नं. 12,13 से होते हुए जाना बतलाते हुए इसी मुरब्बा के किला नं. 14 के विकल्प बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि उप तहसीलदार राजस्व ढाबा ने अपनी रिपोर्ट में मु.न. 39 के किला नम्बर 2,9 से होते हुए किला नं. 12,13 से होते हुए जाना बतलाते हुए इसी मुरब्बा के किला नं. 14 के विकल्प सहित रास्ते की मांग किया जाना उचित बतलाया है एव अप्रार्थी संख्या 1 अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत शुद्वा रास्ते से नही जुडने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है। जिस काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत निकटतम रास्ता जो मन्जूर शुद्वा रास्ते से जुड़ता हो, दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता एवं मजूंरशुद्वा रास्ते से जूडाव के परिप्रेक्ष्य में अभाव खारिज किया जाता है। प्रार्थी नये सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबन्धित को पक्षकार बनाकर रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया